03/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०। वकील वादीगण ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं कर बहस हेतु निवेदन किया। बहस हेतु अनुज्ञात कर प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 16/12/2019 को पेश हो।
16/12/19	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकील वादीगण उप०। प्रकरण में बहस वकील वादीगण पूर्व में सुनी जा चुकी है। दरबम्न बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक ईकबाली जवाब दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं ईकबाली जवाब का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादीगण पर सगौर मनन किया गया जिनसे वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

रीख क्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 16/12/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। 16.12.19 (राजीव सिंह) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला	

Scanned by CamScanner